



F-07-08

F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
**MARATHAHALLI COLONY P.O.**  
**BENGALURU - 560 037.**

**वर्ग अनुमोदन सं. : 1119 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1119**

विषय / Sub: इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स टाइप एसए-ईक्यू-एमजीटीएफएल एवं एसए-ईक्यू-एमजीएफटीएलई  
**Electrical Wires and Cables Type SA- EQ – MGTFLE and SA – EQ – MGFTLE**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स सांघवी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स टाइप एसए-ईक्यू-एमजीटीएफएल एवं एसए-ईक्यू-एमजीएफटीएलई " को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1119, दिनांक 15 अप्रैल 2005, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1119 जारी किया गया था और तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1119/1आर, दिनांक 24 मई 2011 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2016 तक था।

*This is to state that the "Electrical Wires and Cables Type SA- EQ – MGTFLE and SA – EQ – MGFTLE" designed, developed and manufactured by M/s. Sanghvi Aerospace Private Limited was issued with Type Approval No.: 1119 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1119, Dated: 15<sup>th</sup> April 2005, and subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA – 1119/1R, Dated: 24<sup>th</sup> May 2011 with validity up to 30<sup>th</sup> June 2016.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 सितंबर 2016 से किया जाता है तथा 30 सितंबर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (नासिक), सेमिलैक, बेंगलूरु – 560 037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> September 2016 and is valid up to 30<sup>th</sup> September 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nashik), CEMILAC, Bengaluru – 560 037, Three (03) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1119, दिनांक 24 सितम्बर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 5 में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para five of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1119, Dated: 15<sup>th</sup> April 2005 is Amended as stated herewith.*

“ [अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।


*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।  
*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1119/2R  
दिनांक/Date : **20 September 2016**  
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

*20<sup>th</sup> Sept 16*

*Shr*

  
(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)